मथुरा पुलिस

दिनांक 23.07.2025 प्रेस नोट थाना -कोतवाली

थाना कोतवाली पुलिस की हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त से हुई मुठभेड़, दौराने पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त पैर में गोली लगने से हुआ घायल / गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज तमंचा .315 बोर व 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

थाना कोतवाली पुलिस टीम ने आज दिनांक 23.07.2025 समय 01.40 बजे मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0स0-443/2025 धारा 109/238 बीएनएस में वांछित अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की पुत्र मुरली वर्मा निवासी सी-16, शांतिनगर, माल गोदाम रोड़ थाना कोतवाली जिला मथुरा उम्र करीब 25 वर्ष को धौलीप्याऊ फाटक के आगे रेलवे ग्राउण्ड के किनारे, रेलवे जंक्शन की तरफ जाने वाले रास्ते पर थाना कोतवाली जिला मथुरा से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुये । घायल अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय मथुरा भेजा गया । अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.07.2025 की रात्रि को कनिष्का गेस्ट हाउस में शराब पीते हुये झगड़े के दौरान कृष्णकान्त शर्मा उर्फ के0के0 को तमंचे से गोली मार देने की घटना कारित की थी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2025 को थाना कोतवाली जिला मथुरा पर वादी मुकदमा द्वारा मु0अ0सं0 443/2025 धारा 109/238 बीएनएस बनाम निखिल उर्फ निक्की आदि 02 नफर पंजीकृत कराया था। अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा में नामजद अभियुक्त था। जिसे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0स0 452/2025 धारा 109 बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद मथुरा अभियोग पंजीकृत करते हुये आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण का नाम व पता—

निखिल उर्फ निक्की पुत्र मुरली वर्मा निवासी सी-16, शांतिनगर, माल गोदाम रोड़ थाना कोतवाली जिला मथुरा उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

स्थान- धौलीप्याऊ फाटक के आगे रेलवे ग्राउण्ड के किनारे, रेलवे जंक्शन की तरफ जाने वाले रास्ते पर दिनांक 23.07.2025 व समय करीब 01.40 बजे।

बरामदगी का विवरण—

01.एक नाजायज तमंचा .315 बोर।
02.दो अदद खोखा कारतूस।
03.दो जिन्दा कारतूस .315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1.मु0अ0स0 443/2025 धारा 109/238 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद मथुरा।
2.मु0अ0सं0 372/2025 धारा 3/25ए एक्ट थाना कोतवाली जिला मथुरा।
3.मु0अ0सं0 324/2024 धारा 147, 149, 323, 325, 352, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली जिला मथुरा।
4.मु0अ0स0 452/2025 धारा 109 बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के नाम-

01.प्र0नि0 श्री देवपाल सिंह पुण्डीर थाना कोतवाली जिला मथुरा।
02.व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार जोशी थाना कोतवाली जिला मथुरा।
03.उ0नि0 श्री माँगेराम (चौकी प्रभारी बागबहादुर) थाना कोतवाली जिला मथुरा।
04.उ0नि0 श्री कौशल किशोर (चौकी प्रभारी धौलीप्याऊ) थाना कोतवाली जिला मथुरा।
05.उ0नि0 श्री अरविन्द सिवाल थाना कोतवाली जिला मथुरा।
06.उ0नि0 श्री मुश्ताक मेहदी थाना कोतवाली जिला मथुरा।
07.है0का0 1231 विनय कुमार थाना कोतवाली जिला मथुरा।
08.है0का0 71 संजीव कुमार थाना कोतवाली जिला मथुरा।
09.है0का0 1013 मोहित शर्मा थाना कोतवाली जिला मथुरा।
10.है0का0 1219 अभिषेक थाना कोतवाली जिला मथुरा।
11.का0 1033 धीरज कुमार थाना कोतवाली जिला मथुरा।